50

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

सहकारिता मंत्रालय

'अनुदानों की मांगें (2022-23)'

{कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के बयालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

पचासवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

पचासवां प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सहकारिता मंत्रालय

'अनुदानों की मांगें (2022-23)'

(कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के बयालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई)

लोक सभा मे प्रस्तुत किया गया	20.12.2022
राज्य सभा के पटल पर रखा गया	20.12.2022

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

सीओए सं. **462**

मूल्य: …….. रुपए

© 2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा सचिवालय द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित एवं मुद्रित।

विषय-सूची

पृष्ठ

समिति (**2021-22**) की संरचना	.....	(iii)
समिति (**2022-23**) की संरचना	.....	(v)
प्राक्कथन	.....	(vii)
अध्याय एक	प्रतिवेदन.....	1-17
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....	18-27
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरो को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती.....	28-29
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरो को स्वीकार नहीं किए हैं.....	30-33
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं.....	34-41

अनुबंध

समिति की 15.11.2022 को हुयी दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश	42-44

परिशिष्ट

कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के बयालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण.....	45

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति* (2021-22) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री कनकमल कटारा
7. श्री अबू ताहेर खान
8. श्री मोहन मंडावी
9. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
10. श्री देवजी पटेल
11. श्रीमती शारदा अनिल पटेल
12. श्री बी. बी. पाटील
13. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
16. श्री राजीव प्रताप रूडी
17. मोहम्मद सादिक
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री मुलायम सिंह यादव
21. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री कैलाश सोनी
24. श्री राम नाथ ठाकुर
25. श्री वाइको
26. श्री हरनाथ सिंह यादव

@27. रिक्त

@28. रिक्त

@29. रिक्त

30. रिक्त

31. रिक्त

---

* बुलेटिन भाग 2 पैरा संख्या 3293 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति का नाम बदलकर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया।

@ श्री प्रताप सिंह बाजवा, सांसद राज्य सभा दिनांक 21.03.2022 से राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे; सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, सांसद राज्य सभा, 09.04.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, सांसद राज्य सभा, 04.07.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2	श्री सुन्दर प्रसाद दस	-	निदेशक
3	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव
4	श्री एन. अमरात्यागन	-	अवर सचिव

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री ए. गणेशमूर्ति
5. श्री कनकमल कटारा
6. श्री अबू ताहेर खान
7. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
8. श्री मोहन मण्डावी
9. श्री देवजी मनसिंहराम पटेल
10. श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
11. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
12. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
13. श्री विनायक भाऊराव राऊत
14. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
15. श्री राजीव प्रताप रूडी
16. मोहम्मद सादिक
17. श्री देवेन्द्र सिंह भोले सिंह (ऊर्फ)
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री राम कृपाल यादव

*21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री मस्थान राव बीडा
24. डाअनिल सुखदेवराव . बोंडे
25. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
26. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
27. श्री कैलाश सोनी
28. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री वाइको
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

***** दिनांक 14.10.2022 के बुलेटिन- भाग II, पैरा संख्या 5316 द्वारा 10.10.2022 को श्री मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त ।

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक
4.	श्री एन. अमरात्यागन	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के बयालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी पचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के बयालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन से संबंधित की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ दिनांक 05.08.2022 को प्राप्त हुईं।

3. प्रतिवेदन को समिति की 15.11.2022 को हुई बैठक में विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

4. समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

नई दिल्ली;
06 दिसम्बर, 2022
15 अग्रहायण,1944(शक)

पी. सी. गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि,पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

अध्याय – एक
प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) के बयालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है जिसे 23-03-2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के सभापटल पर रखा गया था।

1.2 सहकारिता मंत्रालय ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 16 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। इन उत्तरों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:	**अध्याय – दो (कुल- 08)**
	सिफ़ारिश सं. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13 और 16	
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:	**अध्याय –तीन (कुल - 02)**
	सिफ़ारिश सं. 7 और 14.	
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं:	**अध्याय –चार (कुल - 01)**
	सिफ़ारिश सं. 11	
(iv)	टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं	**अध्याय -पांच (कुल - 05)**
	सिफ़ारिश सं. 3, 8, 10,12 और 15.	

1.3 समिति की इच्छा है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियों/सिफारिशों को कार्यान्वित करने को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां मंत्रालय के लिए किसी भी कारण से सिफारिशों को अक्षरश: कार्यान्वित करना संभव नहीं है, मामले को कार्यान्वयन न करने के कारणों के साथ समिति को सूचित किया जाना चाहिए। समिति की इच्छा है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर आगे की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां उन्हें शीघ्र प्रस्तुत की जाएं।

1.4 समिति अब आगे के पैराओं में कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करेगी।

<u>2022-23 के लिए सहकारिता मंत्रालय को बजटीय आवंटन का समान रूप से व्यय</u>
(सिफ़ारिश सं. 3)

1.5 समिति ने अपने 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति यह नोट करती है कि सहकारिता मंत्रालय को 2022-23 के बजट अनुमानों में 3250 करोड़ रुपये की उनकी अनुमानित मांग की तुलना में 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि, समिति को मंत्रालय द्वारा निधियों के समान रूप से खर्च किए जाने के संबंध में उत्तर में बताया गया है कि 2021-22 के दौरान अब तक, वह 403.30 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। हैरानी की बात यह है कि आरई 2021-22 में इस योजना की तुलना में, मंत्रालय ने 3250 करोड़ रुपये की मांग की थी जो मंत्रालय की ओर से अति महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है। समिति इस बात की सराहना करती है कि वित्त मंत्रालय ने अभी भी बीई 2022-23 के लिए 900 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए बजट परिव्यय के उपयोग के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय अनुदानों की विस्तृत मांगों 2022-23 में अंतर्विष्ट मासिक व्यय योजना को लागू करेगा।"

1.6 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"चालू वर्ष के लिए पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए 350 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की तुलना में, सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए 2,516 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक पैक्स के डिजिटलीकरण को पहले ही मंजूरी दे दी है।

274 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के मुकाबले, मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक सहकारी सोसाइटियोंसहित सहकारी क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए 'सहकार से समृद्धि' योजना तैयार कर रहा है। मंत्रालय नाबार्ड, एनसीडीसी आदि से ऋण की पर्याप्त उपलब्धता के साथ कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), मात्स्यिकी और जलीय कृषि विकास निधि (एफआईडीएफ) आदि जैसी सब्सिडी आधारित योजनाओं को जोड़कर अन्य डोमेन मंत्रालयों के साथ इस योजना को समन्वित कर रहा है।

सहकारी शिक्षा (30 करोड़ रुपये) और सहकारी प्रशिक्षण (25 करोड़ रुपये) से संबंधित बजटीय प्रावधानों के संबंध में, दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।"

1.7 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन (42वीं प्रतिवेदन/17वीं लोकसभा) में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया था कि सहकारिता मंत्रालय को 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए बजट परिव्यय के उपयोग के लिए विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की थी। इस संबंध में समिति ने मंत्रालय से विस्तृत अनुदान मांगों 2022-23 में अंतर्विष्ट मासिक व्यय योजना को कार्यान्वित करने की अपेक्षा व्यक्त की। तथापि, मंत्रालय के की गई कार्रवाई उत्तर में यह दर्शाने के लिए संगत सूचना नहीं दी गई है कि विस्तृत अनुदान मांगों 2022-23 में यथा अंतर्विष्ट मासिक व्यय योजना का कार्यान्वयन और निगरानी मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इसलिए समिति 2022-23 के दौरान मंत्रालय द्वारा मासिक व्यय योजना के कार्यान्वयन से अवगत होना चाहती है।

<u>बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) का प्रबंधन</u>
(सिफ़ारिश सं.5)

1.8 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित नहीं होने वाले उद्देश्यों के साथ सहकारी सोसाइटियोंका निगमन, विनियमन और समापन शामिल है। आज की तिथिनुसार देश में कुल 1481 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) पंजीकृत की गई हैं और इनमें से 77 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी गैर-कार्यात्मक हैं क्योंकि उनकी समापन कार्यवाही चल रही है। समिति ने मंत्रालय के उत्तर से यह भी नोट किया है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2002 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे एमएससीएस के पंजीकरण और प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले उपबंधों को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित किया जा सके और इन सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। समिति, उपर्युक्त कारकों और एमएससीएस, विशेषरूप से आवास और ऋण सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय से सभी एमएससीएस के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत ढांचा यथाशीघ्र लाने और शुरू करने का आग्रह करती है। समिति को 77 निष्क्रिय एमएससीएस की विफलता के कारणों और एमएससीएस की वर्तमान स्थिति जिसके लिए परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है, के संबंध में अवगत कराया जाए।"

1.9 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप लाने, शासन में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने, व्यावसायिकता बढ़ाने और बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियों के बीच व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों की विफलता के कुछ कारण गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हैं; सदस्यों को जमाराशियों की अदायगी न करना, निधियों का विपथन, सोसायटी का कार्य नहीं करना, अपने पंजीकृत पते से फरार पदाधिकारियों के संबंध में रिपोर्ट, विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सोसायटी की खराबी की रिपोर्ट, स्वैच्छिक समापन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी वार्षिक विवरणी दाखिल न करना, उपनियमों, एमएससीएस अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन और सहकारी सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करना आदि।

वर्तमान में 77 बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों में परिसमापन की कार्यवाही चल रही है।"

1.10 समिति ने अपने 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अन्य बातों के साथ-साथ बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियों (एमएससीएस) विशेषकर आवास एवं ऋण सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय से सभी एमएससीएस के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत ढांचा लाने और उन्हें यथाशीघ्र लागू करने का आग्रह किया था।

समिति ने 77 निष्क्रिय एमएससीएस की विफलता के कारणों और इन 77 एमएससीएस की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानना चाहा, जिनके खिलाफ परिसमापन की प्रक्रिया चल रही थी। इसके प्रत्युत्तर में सहकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि अधिनियम को 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप लाने, शासन में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने, व्यावसायिकता बढ़ाने और बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियों के बीच व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों की विफलता के कुछ कारणों का भी उल्लेख किया है। तथापि, 77 निष्क्रिय एमएससीएस के विरुद्ध परिसमापन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति की सूचना नहीं दी गई है। इस संबंध में, समिति की इच्छा है कि 77 एमएससीएस के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया के शुरू होने की तारीख और परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने की संभावित समयावधि के बारे में विवरण समिति को सूचित किया जाए।

<u>केंद्रीय क्षेत्र कृषि सहकारिता संबंधी समेकित योजना (सीएसआईएसएसी) को बंद करना</u>

(सिफ़ारिश सं.8)

1.11 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"उत्तरों के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र कृषि सहकारिता संबंधी समेकित योजना (सीएसआईएसएसी) नामक केवल एक ही योजना का संचालन करता है, जिसे पूर्ववर्ती कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा इसे हस्तांतरित किए जाने पर किया जाता है। सीएसआईएसएसी स्कीम में तीन प्रमुख घटक शामिल थे (i) सहकारी सोसाइटियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) कार्यक्रमों को सहायता, (ii) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को सहायता और (iii) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सहायता। 'सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सहायता संबंधी योजना' भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से और अन्य दो योजनाएं एनसीडीसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। एनसीसीटी और एनसीयूआई केवल सीएसआईएसएसी योजना घटकों का प्रशासन करते हैं, जबकि एनसीडीसी सीएसआईएसएसी योजना घटकों के अतिरिक्त, अपनी स्वयं की उन योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है जिन्हें सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। सहकारिता मंत्रालय ने 2022-23 से सीएसआईएसएसी योजना के पुनरुद्धार और सहकारी क्षेत्र के लिए नई योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए हैं। मंत्रालय के अनुसार, सीएसआईएसी योजना 2022-23 के बाद से अस्तित्व में नहीं रहेगी, हालांकि मंत्रालय केवल शेष बकाया देनदारियों को देखने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआईएसएसी बजट शीर्ष के साथ जारी रहेगा। समिति ने 31-01-2022 की स्थिति के अनुसार, इस बात को नोट किया है कि जबकि एनसीसीटी और एनसीयूआई के पास कोई अव्ययित शेष नहीं बचा है, लेकिन एनसीडीसी के पास सीएसआईएसएसी योजना घटकों के कार्यान्वयन के कारण 32 करोड़ रुपये से अधिक की अव्ययित शेष राशि है। इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी ने मंत्रालय से सीएसआईएसएसी योजना के अंतर्गत

कार्यान्वयनाधीन एनसीडीसी की 287 चालू परियोजनाओं के कारण 31-03-2021 की स्थिति के अनुसार 2825.79 करोड़ रुपये की अपनी देयता को पूरा करने का भी अनुरोध किया है। इस संबंध में समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय सहकारी क्षेत्र के लिए नई योजनाएं तैयार करे और उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित करे जिससे सहकारी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई बजटीय सहायता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, समिति यह भी चाहती है कि कार्यान्वयन एजेंसियों के बकाया मुद्दों और देनदारियों पर विचार किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

1.12 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"सीएसआईएसएसी योजना के तहत, एनसीडीसी ने 01.04.2022 तक 245 पात्र परियोजनाओं के लिए 2512.87 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देनदारियों का आकलन किया है। सहकारिता मंत्रालय इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है।"

1.13 समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृषि सहयोग पर केन्द्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) का 2022-23 से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रालय से सहकारी क्षेत्र के लिए नई योजनाएं तैयार करने और उन्हें जल्द से जल्द कार्यान्वित करने की सिफारिश की थी ताकि सहकारी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि कार्यान्वयन एजेंसियों, विशेष रूप से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के बकाया मुद्दों और देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए और हल किया जाए। इस संबंध में मंत्रालय के की गई कार्रवाई उत्तर में पूरी सूचना नहीं दी गई है। सीएसआईएसएसी के स्थान पर नई स्कीमों के सृजन और कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। सहकारिता मंत्रालय ने अपने उत्तर में केवल यह कहा है कि सीएसआईएसएसी के तहत एनसीडीसी ने 01.04.2022 तक 245 पात्र परियोजनाओं के लिए केवल 2512.87 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देनदारियों का आकलन किया है और मंत्रालय 01.04.2022 तक एनसीयूआई और एनसीसीटी के संबंध में प्रतिबद्ध देनदारियों का उल्लेख किए बिना इस मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। इस पृष्ठभूमि में समिति की इच्छा है कि सहकारी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं के बारे में ब्योरा तथा मंत्रालय द्वारा की गई/प्रस्तावित प्रगति को यथाशीघ्र समिति को प्रस्तुत किया जाए।

<u>सहकारी क्षेत्र के लिए नई योजनाओं के निर्माण हेतु डाटाबेस</u>

(सिफ़ारिश सं. 9)

1.14 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति को बताया गया कि सहकारी क्षेत्र के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र कृषि सहकारिता संबंधी समेकित योजना (सीएसआईएसएसी) 2022-23 से अस्तित्व में नहीं रहेगी। सहकारिता मंत्रालय संभवतः सीएसआईएसी योजना के सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण घटक को प्रतिस्थापित करने के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की नई योजना तैयार कर रहा है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सहायता को 'सहकार से समृद्धि' (7 उप-घटकों की अम्ब्रेला योजना) की नई योजना में शामिल किया जाएगा। समिति सहकारी क्षेत्र के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में सहकारिता मंत्रालय की सराहनीय पहलों और सुधारों से प्रसन्न है। साथ ही समिति मंत्रालय के इस उत्तर से निराश है कि उनके पास देश में सहकारी सोसाइटी की संख्या और श्रेणियों के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार और सहकारी सोसाइटी की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं के संबंध में भी प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं। समिति को उत्तर में यह भी बताया गया है कि मंत्रालय ने अपनी नई योजना 'सहकार से समृद्धि' योजना के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी के राष्ट्रीय डाटाबेस के सृजन का प्रस्ताव पहले ही कर दिया है जिसे तैयार किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में समिति का विचार है कि देश में सहकारी सोसाइटी की कार्यात्मक स्थिति के संबंध में किसी भी प्रामाणिक सूचना के बिना देश में सहकारी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना बहुत कठिन है। अतः, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि आवश्यक प्रामाणिक; सहकारी सोसाइटी और उनकी कार्यात्मक स्थिति के संबंध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार आंकड़े तत्काल संकलित किए जाएं और समिति को सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाएं।"

1.15 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"मंत्रालय ने सहकारिता पर राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इस संबंध में मंत्रालय पहले से ही स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, अनुसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ, केन्द्रीय लाइन मंत्रालय और सहकारी संस्थाएं डेटाबेस में शामिल किए जाने वाले विभिन्न मापदंडों और क्षेत्रों के साथ-साथ डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगी।"

1.16 समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मंत्रालय के पास सहकारी सोसाइटियों और उनकी कार्यात्मक स्थिति पर कोई प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं था, सिफारिश की थी कि सहकारी सोसाइटियों और उनकी कार्यात्मक स्थिति के संबंध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार आवश्यक प्रामाणिक डेटा, तत्काल संकलित कर समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कार्रवाई के उत्तर में सहकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसने सहकारी सोसाइटियों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और वह डाटाबेस में शामिल किए जाने वाले विभिन्न मापदंडों और क्षेत्रों को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों अर्थात् राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, अनुसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघों, केंद्रीय लाइन मंत्रालयों और सहकारी संस्थानों से पहले से ही परामर्श कर रहा है। समिति मंत्रालय के की गई कार्रवाई गए उत्तर को अंतरिम उत्तर के रूप में मानती है और चाहती है कि सहकारी सोसाइटियों और उनकी कार्यात्मक

स्थिति के डाटा के संकलन का कार्य समयबद्ध तरीके से शुरू किया जाए और पूरा किया जाए। समिति इस मामले में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

<u>नई स्कीमों के प्रारम्भिक कार्यों को पूरा करना</u>

(सिफ़ारिश सं.10)

1.17 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान चार नई स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 680 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। तथापि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि चार नई स्कीमों/कार्यक्रमों में से प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी (पीएसीएस) परियोजना के डिजिटलीकरण के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल टिप्पण संबंधी तैयारी और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा मूल्यांकन पूरा किया गया है। तीन अन्य नई स्कीमें वैचारिक चरण में है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि नई स्कीमों को बनाये जाने और उनके संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों से संबंधित प्रारम्भिक कार्य को 31 मार्च, 2022 तक अंतिम रूप दिया जाए ताकि सभी चार नई स्कीमों में वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों के शत-प्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। समिति इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।"

1.18 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"सुसंगत विवरण निम्नानुसार हैं:

योजना का नाम	बजट अनुमान (2022-23)	निर्माण की प्रगति
पैक्स (परियोजना) का डिजिटलीकरण	350 करोड़ रुपये	कार्यान्वित की गई योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है: i) 'पैक्स के कम्प्यूटरीकरण' की परियोजना को 29 जून, 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। 8 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और कार्यान्वयन समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव/सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार भी उपस्थित थे। प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों को अनुमोदित कर दिया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया

		है। नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और राष्ट्रीय स्तर के विक्रेताओं और सिस्टम इंटीग्रेटर्स को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ii) मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक विकास के लिए सहकारी क्षेत्र विशेषकर प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों का पुनरुद्धरी करने के लिए 'सहकार से समृद्धि' योजना के माध्यम से रोडमैप तैयार कर रहा है। मंत्रालय कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ), मात्स्यिकी और जलीय कृषि विकास कोष (एफआईडीएफ) आदि जैसी सब्सिडी आधारित योजनाओं का उपयोग करके अन्य डोमेन मंत्रालयों के साथ तालमेल कर रहा है, जो पीएसीएस को कई आमदनी वाले क्षेत्रों के साथ बहुउद्देशीय बनने में सक्षम बनाएगा। अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल से पैक्स को इसके पुनरुद्धार में मदद मिलेगी और नए भौगोलिक क्षेत्रों में नए पैक्स के गठन को बढ़ावा मिलेगा। जो पैक्स व्यवहार्य नहीं हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है और उनके स्थान पर नए पैक्स का भी गठन किया जा सकता है।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	55 करोड़ रुपये	सहकारी क्षेत्र की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण पूर्वापेक्षाएं हैं। तदनुसार, योजना के तहत दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
सहकारी सोसाइटियों के लिए ऋण गारंटी निधि	1 करोड़ रुपये	क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने अपने परिपत्र संख्या 194/2021-22 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के साथ योजना के सदस्य ऋणदाता संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया है। इससे सहकारी क्षेत्र तक सीजीटीएमएसई योजना की पहुंच बढ़ेगी और सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण प्रदान करने में मदद मिलेगी। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यय विभाग ने अन्य मंत्रालयों में प्रचालनरत ऐसी ही योजनाओं का हवाला देते हुए सहकारिता मंत्रालय की प्रस्तावित ऋण गारंटी निधि स्कीम को सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया था।

सहकार से समृद्धि योजना	274 करोड़ रुपये	मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक विकास के लिए सहकारी क्षेत्र विशेषकर प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों का पुनरुद्धार करने के लिए 'सहकार से समृद्धि' योजना के माध्यम से रोडमैप तैयार कर रहा है। मंत्रालय कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ), मात्स्यिकी और जलीय कृषि विकास कोष (एफआईडीएफ) आदि जैसी सब्सिडी आधारित योजनाओं का उपयोग करके अन्य डोमेन मंत्रालयों के साथ तालमेल कर रहा है, जो पीएसीएस को कई आमदनी वाले क्षेत्रों के साथ बहुउद्देशीय बनने में सक्षम बनाएगा। अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल से पैक्स को इसके पुनरुद्धार में मदद मिलेगी और नए भौगोलिक क्षेत्रों में नए पैक्स के गठन को भी बढ़ावा मिलेगा। जो पैक्स व्यवहार्य नहीं हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है और उनके स्थान पर नए पैक्स का भी गठन किया जा सकता है।

1.19 समिति ने इस बात पर ध्यान दिया था कि 2022-23 के दौरान चार नई योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 680 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था। चारों नई स्कीमें तैयार होने की प्रक्रिया में थीं। प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों का डिजिटलीकरण (पीएसीएस) परियोजना नामक स्कीम के संबंध में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) मूल्यांकन और कैबिनेट नोट तैयार करने का कार्य पूरा हो गया था। अन्य तीन नई योजनाएं वैचारिक अवस्था में थीं। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि नई योजनाओं और परिचालन दिशानिर्देशों को तैयार करने से संबंधित प्रारंभिक कार्य को 31.03.2022 तक अंतिम रूप दिया जाए। कार्रवाई के उत्तर में मंत्रालय ने सूचित किया है कि प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों (पीएसीएस) के डिजिटलीकरण का कार्यान्वयन शुरू हो गया है, परिचालन दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर दिया गया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है। उत्तर के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और राष्ट्रीय स्तर के विक्रेताओं और सिस्टम इंटीग्रेटर्स को ऑन-बोर्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सहकारी सोसाइटियों के लिए ऋण गारंटी निधि की प्रस्तावित स्कीम के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि व्यय विभाग ने अन्य मंत्रालयों में इसी प्रकार की स्कीमों के प्रचालन का हवाला देते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया था। शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम के संबंध में, यह सूचित किया गया है कि स्कीम के अंतर्गत दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। तथापि, पुरानी स्कीम की तुलना में नई स्कीमों/स्कीम घटकों की मुख्य विशेषताओं से संबंधित कोई संगत ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति की इच्छा है कि मंत्रालय द्वारा सहकारी क्षेत्र के लिए

संचालित/संचालित की जाने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण योजनाओं/कार्यक्रमों और 2022-23 के दौरान योजना के लिए किए जाने वाले व्यय के ब्योरे की सूचना दी जाए।

जहां तक 'सहकार से समृद्धि' योजना का संबंध है, यह सूचित किया गया है कि मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक विकास के लिए सहकारी क्षेत्र विशेषकर प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित स्कीम के माध्यम से एक रोडमैप तैयार कर रहा है और यह अन्य डोमेन मंत्रालयों के साथ उनकी राजसहायता आधारित स्कीमों का उपयोग करके तालमेल कर रहा है ताकि पैक्स को कई आमदनी वाले क्षेत्रों के साथ बहुउद्देशीय बनने में सक्षम बनाया जा सके। मंत्रालय के की गई कार्रवाई उत्तर से पता चलता है कि 'सहकार से समृद्धि' योजना का निर्माण अभी संकल्पनात्मक स्तर पर है। अत: समिति को इस बात की वास्तविक आशंका है कि क्या मंत्रालय चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम को कार्यान्वित कर पाएगा। इसलिए समिति चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के लिए बजट आबंटनों के उपयोग के बारे में जानना चाहेगी।

<u>वर्ष 2022-23 के लिए स्कीमवार व्यय योजना</u>
(सिफ़ारिश सं.11)

1.20 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए 900 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) में से सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यान्वयन हेतु तैयार की जा रही चार नई स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित कुल बजट परिव्यय 680 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान चार नई स्कीमों/कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए प्रस्तावित बजटीय परिव्यय और आज की स्थिति के अनुसार उनको तैयार/अंतिम रूप दिये जाने की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:

स्कीम का नाम	**बीई (2022-23)**	**तैयार किए जाने में हुई प्रगति**
पीएसीएस (परियोजना) का डिजिटलीकरण	350 करोड़ रुपये	व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने परियोजना का मूल्यांकन किया है और मंत्रिमंडल टिप्पण तैयार किया जा रहा है।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	55 करोड़ रुपये	स्कीम वैचारिक चरण में है।

सहकारी सोसाइटियों के लिए ऋण गारंटी निधि	1 करोड़ रुपये	
सहकार से समृद्धि योजना	274 करोड़ रुपये	

समिति उपर्युक्त कारकों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2022-23 में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह वर्ष लक्षित समय अवधि का अंतिम वर्ष है, पुरजोर सिफारिश करती है कि सहकारिता मंत्रालय, मंत्रालय को आवंटित निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर सके।"

1.21 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

योजना का नाम	**ब.अ. (2022-23)**	**तैयार किए जाने में हुई प्रगति**
पैक्स (परियोजना) का डिजिटलीकरण	350 करोड़ रुपये	सहकारी क्षेत्र देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी इकाइयां हैं, जिनमें लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं। देश में 95,000 से अधिक पैक्स हैं, जिनमें लगभग 13 करोड़ किसान सदस्य हैं। पैक्स देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों का 41% हिस्सा है और इनमें से 95% केसीसी ऋण छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाते हैं। इसलिए, पैक्स कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। पैक्स के प्रचालन में पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाए हैं: क. 63,000 कार्यात्मक पैक्स के डिजिटलीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ एक केंद्र प्रायोजित परियोजना "प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी (पीएसीएस)" का कम्प्यूटरीकरण" शुरू किया, जो त्रि-स्तरीय ग्रामीण ऋण संरचना के निचले पायदान पर है। यह परियोजना उनके संचालन में पारदर्शिता और दक्षता लाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में पैक्स जैसी सोसाइटियां जैसे लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटीज (एलएएमपीएस) भी इस परियोजना से लाभान्वित होंगी। ख. पैक्स के कार्यकलापों में विविधता लाने और उन्हें ग्राम स्तर पर जीवंत बहुउद्देशीय आर्थिक संस्थाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य सभी पणधारियों के परामर्श से पैक्स के लिए मॉडल उप-नियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ग. निष्क्रिय/अप्रयुक्त पैक्स का पुनरुद्धार करने के लिए मंत्रालय अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के समन्वय से पैक्स को सहायता प्रदान करने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है। ऐसी कई योजनाएं हैं जहां सहकारी सोसाइटियों को सहायता मिल सकती है, जैसे कि कृषि अवसंरचना निधि, मात्स्यिकी और जलीय कृषि विकास निधि, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि, नाबार्ड की योजनाएं आदि, जो पैक्स द्वारा की गई गतिविधियों का समर्थन कर सकती हैं। घ. कई गांव/पंचायतें ऐसे हैं जहां पैक्स मौजूद नहीं हैं या यह निष्क्रिय/अप्रयुक्त

		अवस्था में है। इसलिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए निष्क्रिय पैक्स के पुनरुद्धार के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन गांवों/पंचायतों में नए पैक्स का गठन किया जा सकता है जहां पैक्स या तो अनुपस्थित हैं या पुनरुद्धार संभव नहीं है। अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण से पैक्स को पुनरुद्धार में मदद मिल सकती है और अन्य क्षेत्रों में नए पैक्स के गठन को भी बढ़ावा मिल सकता है। जो पैक्स व्यवहार्य नहीं हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है और उस क्षेत्र में नए पैक्स का गठन किया जा सकता है।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	55 करोड़ रुपये	सहकारी क्षेत्र की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण पूर्वापेक्षाएं हैं। तदनुसार, योजना के तहत दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
सहकारी सोसाइटियों के लिए ऋण गारंटी निधि	1 करोड़ रुपये	क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने अपने परिपत्र संख्या 194/2021-22 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के साथ योजना के सदस्य ऋणदाता संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया है। इससे सहकारी क्षेत्र तक सीजीटीएमएसई योजना की पहुंच बढ़ेगी और सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण प्रदान करने में मदद मिलेगी। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यय विभाग ने अन्य मंत्रालयों में प्रचालनरत ऐसी ही योजनाओं का हवाला देते हुए सहकारिता मंत्रालय की प्रस्तावित ऋण गारंटी निधि स्कीम को सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया था।
सहकार से समृद्धि योजना	274 करोड़ रुपये	मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक विकास के लिए सहकारी क्षेत्र विशेषकर प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों का पुनरुद्धार करने के लिए 'सहकार से समृद्धि' योजना के माध्यम से रोडमैप तैयार कर रहा है। मंत्रालय कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ), मात्स्यिकी और जलीय कृषि विकास कोष (एफआईडीएफ) आदि जैसी सब्सिडी आधारित योजनाओं का उपयोग करके अन्य डोमेन मंत्रालयों के साथ तालमेल कर रहा है, जो पीएसीएस को कई कमाई धाराओं के साथ बहुउद्देशीय बनने में सक्षम बनाएगा। अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल से पैक्स को उनके पुनरुद्धार में मदद मिलेगी और नए भौगोलिक क्षेत्रों में नए पैक्स के गठन को भी बढ़ावा मिलेगा। जो पैक्स व्यवहार्य नहीं हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है और उनके स्थान पर नए पैक्स का भी गठन किया जा सकता है।

1.22 समिति ने नोट किया था कि वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यान्वयन के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही चार नई स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए बजट परिव्यय 900 करोड़ रुपये के कुल बजट अनुमान में से 680 करोड़ रुपये था। समिति ने सिफारिश की थी कि सहकारिता मंत्रालय आवंटित धन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए क्योंकि यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई उत्तर में नई स्कीमों/कार्यक्रमों के निर्माण या कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों का उल्लेख है। मंत्रालय के अनुसार, पीएसीएस (परियोजना) के डिजिटलीकरण का कार्यान्वयन शुरू हो गया है; सहकारी समितियों के लिए नई शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीमों के

लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं; व्यय विभाग ने अन्य मंत्रालयों में संचालित समान योजनाओं का हवाला देते हुए सहकारिता मंत्रालय की प्रस्तावित क्रेडिट गारंटी फंड योजना को सैद्धांतिक मंजूरी नहीं दी है और 'सहकार से समृद्धि योजना' अभी भी शुरुआती चरण में है। इसलिए समिति यह आग्रह करना चाहती है कि सहकारिता मंत्रालय मंत्रालय आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

<u>सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नई स्कीम/स्कीमें</u>
(सिफारिश सं. 12)

1.23 समिति ने निम्नवत टिप्पणियाँ/सिफारिशें कीं:-

"सीएसआईएसएसी स्कीम के सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण घटक का कार्यान्वयन वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्त होगा। दिए गए उत्तरों के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय वर्ष 2022-23 से कार्यान्वयन के लिए सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण की एक नई स्कीम तैयार कर रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान नई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 55 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रस्तावित नई सहकारी शिक्षा स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम के रूप में सहकारी शिक्षा की शुरुआत की परिकल्पना की गई है। आगे, मंत्रालय वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वीएएमएनआईसीओएम) को और अधिक स्वायत्ता देने पर और इसे एक शीर्ष सहकारी संस्था में परिवर्तित करने पर विचार कर रहा है। समिति सहकारी शिक्षा में नई पहलों के साथ-साथ सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मौजूदा स्कीमों में सुधार का स्वागत करती है। समिति स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सहकारी शिक्षा को अकादमी पाठ्यक्रम के रूप में शुरू किए जाने के पक्ष में भी है। इसलिए समिति की यह इच्छा है सहकारिता मंत्रालय सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए नई स्कीम बनाए और शीघ्रातिशीघ्र स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सहकारी शिक्षा को अकादमिक पाठ्यक्रम के रूप में शुरू किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।"

1.24 मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"सहकारी क्षेत्र के मानव संसाधन अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ मौजूदा स्टाफ की क्षमतावृद्धि के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वापेक्षित हैं। सहकारी समितियों के कामकाज में व्यावसायिकता लाने के लिए, डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने और उच्च गुणवत्ता मानकों के लिए बेंच मार्क करने की आवश्यकता है। मंत्रालय, तदनुसार सहकारी शिक्षण के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है, जिसके लिए हितधारकों के साथ परामर्श किया जा रहा है।"

1.25 केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत कृषि सहयोग योजना (सीएसआईएसएसी) स्कीम के सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण घटक वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्त होने वाले थे और मंत्रालय को वर्ष 2022-23

में कार्यान्वयन के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की नई योजना तैयार करनी थी। प्रस्तावित नई सहकारी शिक्षा स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम के रूप में सहकारी शिक्षा की शुरुआत की परिकल्पना की गई है। समिति ने सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मौजूदा योजनाओं में सुधार का स्वागत किया था और यह चाहती थी कि सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नई योजना तैयार करने और सहकारी शिक्षा को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अकादमिक पाठ्यक्रमों के रूप में शुरू किए जाने के लिए जल्द-से-जल्द कार्रवाई की जाए। अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, सहकारिता मंत्रालय ने यह बताया है कि मंत्रालय सहकारी शिक्षा के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में काम कर रहा है, जिसके लिए सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में, समिति स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सहकारी शिक्षा को अकादमिक पाठ्यक्रमों के रूप में शुरू करने के लिए संभावित समयसीमा और सहकारी प्रशिक्षण के लिए नई योजनाओं को तैयार करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहती है। इन मामलों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराया जाए।

<u>बहु राज्य सहकारी सोसाइटियों को सहायता</u>
(सिफारिश सं. 15)

1.26 समिति ने निम्नवत टिप्पणियाँ/सिफारिशें की:-

" समिति यह नोट करती है कि सहकारिता मंत्रालय 'सहकार से समृद्धि योजना' नामक एक नई स्कीम बना रहा है जो वर्ष 2022-23 में 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सहायता' के सीएसआईसी स्कीम के संघटकों का स्थान लेगी। 'सहकार से समृद्धि योजना' सात संघटकों वाली एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए 274 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। इसलिए समिति को यह सूचित किया जाए कि क्या पिछली योजना के तहत 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सहायता' के प्रावधान की प्रस्तावित प्रणाली 2022-23 में लागू होना बंद हो जाएगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सहकारिता मंत्रालय वर्ष 2022-23 के दौरान 'सहकार से समृद्धि योजना' की नई स्कीमों के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध कार्रवाई करे। समिति यह भी जानना चाहती है कि 'सहकार से समृद्धि योजना' के तहत 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सहायता' स्कीम का कैसे समाधान किया जाएगा। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।"

1.27 मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए सहकारी क्षेत्र, विशेषकर प्राथमिक सहकारी समितियों को पुन:सक्रिय करने के लिए सहकारिता मंत्रालय "सहकार से समृद्धि" योजना के माध्यम से एक रोडमैप तैयार कर रहा है। मंत्रालय अन्य डोमेन मंत्रालयों की सब्सिडी आधारित योजनाएं जैसे कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (डीआईडीएफ),

मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास फंड (एफआईडीएफ) आदि का उपयोग करके उनके साथ तालमेल बिठा रहा है जो कमाई के कई श्रोतों के साथ पैक्स को बहुउद्देश्यीय बनने में सक्षम करेगा। अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल से पैक्स को पुन:सक्रिय करने के साथ-साथ नए स्थानों में नए पैक्स के गठन में प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे पैक्स जो व्यवहार्य नहीं हैं, उनका परिसमापन किया जा सकता है और उनके स्थान पर नए पैक्स का गठन भी किया जा सकता है।"

1.28 समिति ने नोट किया था कि सहकारिता मंत्रालय 'सहकार से समृद्धि योजना' की एक नई अम्ब्रेला योजना तैयार कर रहा है, जो वर्ष 2022-23 में कृषि सहयोग पर केंद्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) की जगह लेगी, जिसमें 'बहु राज्य सहकारी समितियां को सहायता' के घटक शामिल हैं। इसलिए समिति ने यह जानना चाहा था कि क्या सीएसआईएसएसी योजना के 'बहु राज्य सहकारी समितियों को सहायता' के घटक वर्ष 2022-23 में लागू होना बंद हो जाएंगे। समिति ने वर्ष 2022-23 के दौरान 'सहकार से समृद्धि योजना' के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने की भी सिफारिश की थी और यह जानने की कोशिश की थी कि सहकार से समृद्धि योजना के तहत 'बहु-राज्य सहकारी समितियों को सहायता' के पहलू का कैसे समाधान किया जाएगा। इसके अलावा, समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई उत्तर में समिति की उक्त टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी शामिल नहीं है। इसलिए, समिति इस मामले में अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है।

अध्याय-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सहकारी क्षेत्र में सहकारिता मंत्रालय की भूमिका

(सिफारिश सं. 1)

"समिति इस बात से प्रसन्न है कि भारत सरकार ने देश में सहकारी क्षेत्र को समर्थ करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है जिससे दिनांक 6 जुलाई, 2021 की अधिसूचना में यथा अधिसूचित केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि 'सहकारी सोसाइटी' विषय राज्य का विषय है जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-II (राज्य सूची) की मद संख्या 32 में शामिल किया गया है। राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी सोसाइटियां सहकारी सोसाइटी के संबंधित पंजीयकों द्वारा शासित होती हैं। सहकारी सोसाइटी के संवर्धन के लिए राज्य सहकारी कानूनों के अंतर्गत कई सहकारी संस्थाओं की भी स्थापना की गई है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति देश में सहकारी संचलन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के प्रयासों और पहलों को वास्तविक रूप से सामने लाते समय यह विचार व्यक्त करती है कि सहकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यकलापों/योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करने में अत्यधिक विवेक का प्रयोग करे जिससे देश की संघीय विशेषताओं पर कोई प्रभाव न पड़े और सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारकों को विधिवत लाभ हो।"

सरकार का उत्तर

"मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप संपूर्ण रूप से संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित होते हैं। पूरे देश में सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियमित परामर्श किया जाता है।"

सहकारिता मंत्रालय

[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

पर्याप्त कार्यबल की तैनाती

(सिफारिश सं. 2)

"समिति नोट करती है कि सहकारिता मंत्रालय के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 900 करोड़ रुपये के बीई में से, सचिवालय-आर्थिक-सेवा से संबंधित प्रमुख शीर्ष 3451 के अंतर्गत 98.10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और सहकारिता मंत्रालय के कार्यालय के लिए भूमि की खरीद के लिए 11/- करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है। मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों वर्ष 2022-23 के

अनुसार, दिनांक 31-03-2022 और 31-03-2023 को मंत्रालय की अनुमानित स्वीकृत संख्या क्रमशः 91 और 198 है। मंत्रालय वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर अस्थायी कार्यालयों से कार्य कर रहा है जिसमें कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 43 है। अतः, समिति सहकारिता मंत्रालय से इसके समाधान हेतु समयबद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करती है। स्थापना से संबंधित सभी मुद्दों का शीघ्रतिशीघ्र समाधान किया जाए। समिति यह भी पुरजोर सिफारिश करती है कि सहकारिता मंत्रालय अधिक से अधिक कर्मचारियों की तैनाती के लिए तब तक निरंतर प्रयास करे जब तक कि उसे कार्यबल की कुल स्वीकृत संख्या न मिल जाए।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

"सहकारिता मंत्रालय में कुल स्वीकृत स्टाफ की संख्या 190 है जिसमें से 127 पद मंत्रालय के और 63 पद सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय के हैं।

190 स्वीकृत पदों में से 75 स्टाफ तैनात हैं जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से लोन आधार पर 17 स्टाफ शामिल हैं ।

तदनुसार, मंत्रालय के साथ-साथ सीआरसीएस कार्यालय में सुचारू कामकाज हेतु तैनात 75 स्टाफ में से 53 स्टाफ मंत्रालय में और शेष 22 स्टाफ सीआरसीएस के कार्यालय में कार्यरत हैं ।

रिक्तियों को नियमित आधार पर भरने के लिए मंत्रालय पूरा प्रयास कर रहा है । जैसे ही अधिकारियों की तैनाती हो जाती है, वैसे ही लोन आधार पर लिए गए स्टाफ को वापस कर दिया जाएगा ।

फिलहाल, सहकारी सोसाइटियों के केन्द्रीय पंजीयक का कार्यालय सहित मंत्रालय के सभी कार्यालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्मित भवन "अटल अक्षय ऊर्जा भवन" के एक हिस्से में एक ही स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं जो सीजीओ कॉम्प्लैक्स के सामने, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है ।

सहकारी सोसाइटियों के केन्द्रीय पंजीयक के स्थायी कार्यालय हेतु, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से ने शनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) द्वारा नौरोजी नगर में निर्माणाधीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्थान आवंटन का प्रयास किया जा रहा है।"

सहकारिता मंत्रालय
[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त 2022]

<u>राष्ट्रीय सहकारिता नीति</u>
(सिफारिश सं. 4)

"सहकारिता मंत्रालय ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', 'ईज ऑफ लिविंग' और 'आत्म निर्भर भारत' के मंत्र को ध्यान में रखते हुए एक नई सहकारिता नीति लाने की जिम्मेदारी ली है। मंत्रालय के अनुसार, सहकारी क्षेत्र को कई गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है जैसे प्रभावी शासन, नेतृत्व और पेशेवर प्रबंधन की कमी, प्रौद्योगिकी अपनाने का निम्न स्तर आदि। ये सहकारी समितियों के त्वरित और न्यायसंगत विकास को प्रभावित करते हैं। समिति को विश्वाश है कि इन बाधाओं को सभी तरह से दूर करने की आवश्यकता है। समिति मंत्रालय की नई नीतिगत पहलों की सराहना करती है और आशा करती है कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति इस क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से मुद्दों के गहन विश्लेषण और सुधारात्मक उपचारात्मक उपायों को अंतिम रूप देने के बाद विकसित की जाएगी।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से नई सहकारी नीति बनाई जा रही है। प्रारूप नीति पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 और 13 अप्रैल, 2022 को दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारिता सचिवों/सहकारी समितियों के पंजीयकों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान कानूनी ढांचा; विनियामक, नीति व संचालन संबंधी अवरोधों की पहचान; सुगम व्यापार; शासन सशक्तीकरण हेतु सुधार; नए और सामाजिक सहकारिताओं का संवर्धन; निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करने; सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाई बनाने; सहकारी समितियों के बीच सहयोग एवं सहकारी समितियों के सदस्यों में बढ़ोत्तरी करने पर विचार-विमर्श किया गया ।

इसके अलावा, प्रारूप नीति पर हितधारकों के साथ-साथ आम-जनता से भी Mygov पोर्टल एवं मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से सुझाव मांगे गए।

सहकारिता मंत्रालय
[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

<u>बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) का प्रबंधन</u>
(सिफारिश सं. 5)

"समिति नोट करती है कि सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित नहीं होने वाले उद्देश्यों के साथ सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन शामिल है। आज की तिथिनुसार देश में कुल 1481 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) पंजीकृत की गई हैं और इनमें से 77 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी गैर-कार्यात्मक हैं क्योंकि उनकी परिसमापन कार्यवाही चल रही है। समिति ने मंत्रालय के उत्तर से यह भी नोट किया है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2002 का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे एमएससीएस के पंजीकरण और प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले उपबंधों को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित किया जा सके और इन सहकारी समितियों के प्रबंधन को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके।

समिति, उपर्युक्त कारकों और एमएससीएस, विशेषरूप से आवास और ऋण सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय से सभी एमएससीएस के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत ढांचा यथाशीघ्र लाने और शुरू करने का आग्रह करती है। समिति को 77 निष्क्रिय एमएससीएस की विफलता के कारणों और एमएससीएस की वर्तमान स्थिति जिसके लिए परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है, के संबंध में अवगत कराया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

"बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 को 97वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप लाने के लिए, शासन में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने, व्यावसायिकता बढ़ाने और बहु राज्य सहकारी सोसाइटियों के बीच व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों की विफलता के कुछ कारण गंभीर वित्तीय अनियमितताएं; सदस्यों को जमा राशि का भुगतान न करना, निधियों का विचलन, सोसाइटी का कार्यशील न होना, पदाधिकारियों के उनके पंजीकृत पते से फरार होने की रिपोर्ट, विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सोसाइटी के खराब होने की रिपोर्ट, स्वैच्छिक समापन, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वार्षिक विवरणी दाखिल न करना, एमएससीएस अधिनियम, 2002 के उप-नियमों का और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन और सहकारी सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करना आदि हैं।

वर्तमान में 77 बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के विरुद्ध परिसमापन की प्रक्रिया जारी है।"

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

कृपया समिति की टिप्पणियों के लिए इस प्रतिवेदन के अध्याय-I के पैरा 1.10 देखें।

सहकारिता मंत्रालय

[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

<u>सहकारी सोसाइटी को प्रोत्साहित करना</u>
(सिफारिश सं. 6)

"समिति नोट करती है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार और राज्यों में सहकारी विभाग सहकारी सोसाइटी के विनियमन और संवर्धन/विकास के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें सहकारी सोसाइटी के लिए शेयर पूंजी, अल्पकालिक ऋण, राजसहायता, ब्याज सहायता, ऋण माफी, पैक्स के कम्प्यूटरीकरण आदि के रूप में प्रोत्साहन प्रदान और सहायक उपाय भी करती हैं। देश में 95,000 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी सहित 8.54 लाख से अधिक सहकारी सोसाइटी हो सकती हैं जिन्हें मोटे तौर पर ऋण और गैर-ऋण सहकारी सोसाइटी में वर्गीकृत किया गया है। मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों के अनुसार, सबसे अधिक सहकारी सोसाइटी महाराष्ट्र में हैं, इसके बाद गुजरात और तेलंगाना का स्थान है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सहकारी सोसाइटी की तुलनात्मक रूप से कम संख्या है। समिति यह भी नोट करती है कि केन्द्रीय क्षेत्र कृषि सहकारिता संबंधी समेकित योजना (सीएसआईएसएसी), सहकारी रूप से कम विकसित राज्यों और सहकारी रूप से अल्प विकसित क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों की अलग-अलग दर के बावजूद, इस योजना के कार्यान्वयन से बेहतर परिणामों को बढ़ावा नहीं मिला है क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और राज्यों के बीच सहकारी सोसाइटियों की संख्या में अभी भी अत्यधिक अंतर है। सहकारिता मंत्रालय के पास शायद सहकारी सोसाइटी और उन सोसाइटी की वित्तीय शक्तियों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं जिनकी देश में कर योग्य आय है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करे जिससे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी सोसाइटी को अस्तित्व, वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त अवसर/सुविधाएं मिलें। समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

सहकारिता मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों सहित सभी स्तरों पर सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई अम्ब्रेला स्कीम 'सहकार से समृद्धि' योजना तैयार कर रहा है। मंत्रालय इस योजना को नाबार्ड, एनसीडीसी आदि से पर्याप्त ऋण उपलब्धता द्वारा अन्य डोमेन मंत्रालयों की सब्सिडी आधारित योजनाएं जैसे कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (डीआईडीएफ), मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास फंड (एफआईडीएफ) आदि के साथ जोड़कर सामंजस्य बिठा रहा है ।

चूंकि अब मंत्रालय एक व्यापक "सहकार से समृद्धि" योजना आरंभ करने जा रहा है, इसलिए अभी सीएसआईएसएसी योजना के अधीन कोई नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है और केवल कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा किया जा रहा है ।

विभिन्न गांवों, पंचायतों, जिलों और राज्यों के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों की सहकारी सोसाइटियों के अर्थपूर्ण आंकड़ों के लिए सहकारिता मंत्रालय ने संबंधित हितधारकों की परामर्श से राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस बनाने की ओर कदम उठा रहा है ।

सहकारिता मंत्रालय

[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

<u>सहकारी क्षेत्र के लिए नई योजनाओं के निर्माण हेतु डाटाबेस</u>

(सिफारिश सं. 9)

"समिति को बताया गया कि सहकारी क्षेत्र के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र कृषि सहकारिता संबंधी समेकित योजना (सीएसआईएसएसी) वर्ष 2022-23 से अस्तित्व में नहीं रहेगी। सहकारिता मंत्रालय संभवतः सीएसआईएसएसी योजना के सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण घटक को प्रतिस्थापित करने के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की एक नई योजना तैयार कर रहा है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास

निगम (एनसीडीसी) को सहायता और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सहायता को 'सहकार से समृद्धि' (7 उप-घटकों की अम्ब्रेला योजना) की नई योजना में शामिल किया जाएगा। समिति सहकारी क्षेत्र के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में सहकारिता मंत्रालय की सराहनीय पहलों और सुधारों से प्रसन्न है। साथ ही समिति मंत्रालय के इस उत्तर से निराश है कि उनके पास देश में सहकारी सोसाइटी की संख्या और श्रेणियों के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार और सहकारी सोसाइटी की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं के संबंध में भी प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं। समिति को उत्तर में यह भी बताया गया है कि मंत्रालय ने अपनी नई योजना 'सहकार से समृद्धि' योजना के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी के राष्ट्रीय डाटाबेस के सृजन का प्रस्ताव पहले ही कर दिया है जिसे तैयार किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में समिति का विचार है कि देश में सहकारी सोसाइटी की कार्यात्मक स्थिति के संबंध में किसी भी प्रामाणिक सूचना के बिना देश में सहकारी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना बहुत कठिन है। अतः, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि आवश्यक प्रामाणिक; सहकारी सोसाइटी और उनकी कार्यात्मक स्थिति के संबंध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार आंकड़े तत्काल संकलित किए जाएं और समिति को सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाएं।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

''सहकारिता मंत्रालय सहकारी सोसाइटियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर चुका है। इस संबंध में, मंत्रालय पहले से ही हितधारकों यथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघों, केंद्रीय मंत्रालयों और सहकारी संस्थाओं के साथ डेटाबेस में शामिल किए जाने वाले विभिन्न मापदंडों और क्षेत्रों को अंतिम रूप देने के साथ-साथ डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया पर भी परामर्श कर रहा है।''

सहकारिता मंत्रालय
[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त] 2022]

<u>समिति की टिप्पणियाँ</u>

कृपया समिति की टिप्पणियों के लिए इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा 1.16 देखें।

<u>प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) का डिजिटलीकरण</u>
(सिफारिश सं.13)

"समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) के डिजिटलीकरण के लिए प्रस्तावित बजट परिव्यय 350 करोड़ रुपए है। मंत्रालय ने लगभग 2516 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 63000 सक्रिय पीएसीएस का डिजिटलीकरण शुरू किया है जिसे 5 वर्ष की अवधि में खर्च किया जाएगा। नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) अन्य स्कीमों के साथ-साथ मंत्रालय के पीएसीएस परियोजना के कंप्यूटरीकरण के लिए मुख्य कार्यान्वयनकारी एजेंसी होगी। राज्य

सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंक पहले ही कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं और उनके पास कोर बैंकिंग समाधान पद्धति है। तथापि, पीएमयू सॉफ्टवेयर आदि की स्थापना के साथ-साथ डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में बहुत सी चुनौतियां हैं। समिति प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के डिजिटलीकरण स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में प्रसन्न है और यह विचार व्यक्त करती है कि यह स्कीम/परियोजना लक्षित समय-सीमा में कार्यान्वित की जाए और उसके लिए आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में चिह्नित मुद्दे/चुनौतियों का समाधान संबंधित राज्य सरकारों और दूरसंचार मंत्रालय और अन्य हितधारकों के परामर्श के पश्चात उपयुक्त उपचारात्मक उपाय के द्वारा किया जाए। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

"पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण" परियोजना पीएसीएस स्तर पर उन्हें ऋण और गैर-ऋण व्यवसायों के पूर्ण स्वचालित प्रणाली रखने में मदद करेगा और इससे वित्तीय समावेशन भी लाएगा एवं किसानों को डिजिटल साक्षरता भी प्रदान करेगा। पीएसीएस अपने संचालन में अधिक कुशल हो जाएंगे और वैज्ञानिक तरीके से अपने संचालन का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। यह राज्य सहकारी बैंकों और जिला ऋण सहकारी बैंकों के साथ ऋणों का त्वरित निपटान, निम्न ट्रांजिशन लागत, तेजी से लेखापरीक्षा और भुगतान और लेखांकन में असंतुलन में कमी सुनिश्चित करेगा। इससे किसानों के बीच पीएसीएस के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और विश्वसनीयता बढ़ेगी। कम्प्यूटरीकरण के बाद, पीएसीएस ब्याज सहायता स्कीम (आईएसएस), पीएमएफबीवाई, विभिन्न सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण इकाई भी बन जाएगा।

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा को अंतिम रूप दे दिया गया है और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ पहली बैठक 8 जुलाई, 2022 को हुई थी, जिसमें उनके द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर विचार किया गया था और नाबार्ड को परियोजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए निर्देशित किया गया था। नाबार्ड द्वारा केन्द्रीय स्तर के पीएमयू पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को अनुमोदित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। ऐसी प्रणाली स्थापित की गई है जहां नाबार्ड, राज्यों में राज्य स्तरीय पीएमयू स्थापित करेगा ताकि किसी भी मुद्दे/चुनौतियों का समाधान किया जा सके और ज़ मीनी स्तर पर परियोजना का सुचारू रूप से कार्यान्वयन हो सके। यह परियोजना सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मोड पर चलेगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जानी है, जो इस उद्देश्य के लिए संचार मंत्रालय की भारत नेट परियोजना की सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे राज्य स्तरीय कार्यान्वयन व निगरानी समिति तथा जिला स्तरीय कार्यान्वयन व निगरानी समितियां गठित करें, निधियों के हस्तांतरण के लिए एसएनए खाता खोलें, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के बराबर बजटीय प्रावधान रखें और सभी पीएसीएस का वित्तीय वर्ष 2021-22 का लेखापरीक्षा अगस्त, 2022 तक करा लें।"

सहकारिता मंत्रालय
[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए बजट सहायता</u>
(सिफारिश सं. 16)

"समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य शीर्ष 2425 (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के तहत सहकारिता मंत्रालय के लिए 73 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि एनसीडीसी के पास वर्ष 2021-22 के दौरान एससी/एसपी और टीएसपी संघटकों और एनसीडीसी द्वारा नए प्रस्तावों की गैर-प्राप्तियों और एनईआर संघटकों के संदर्भ में अपर्याप्त मांग की अनुपलब्धता के कारण सीएसआईएसएसी के क्रियान्वयन के लिए एनईआर से संबंधित 1806.9680 लाख रुपए का अव्ययित शेष था। वर्ष 2021-22 के दौरान एनसीडीसी के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई थी जैसा कि पहले की मंजूरी सब्सिडी निधियों के वितरण के लिए पात्र होने के लिए परिपक्व नहीं थी। इस पृष्ठभूमि के प्रति समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय गत वर्षों के अव्ययित शेष के पूर्ण उपयोग के लिए और वर्ष 2022-23 के दौरान एनईआर के लिए निर्धारित निधियों हेतु सक्रिय कार्रवाई करें। समिति इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

वर्ष 2021-22 के दौरान एनसीडीसी के पास एससी/एसपी और टीएसपी घटकों के साथ-साथ एनईआर घटकों के संबंध में पर्याप्त मांगों की अनुपलब्धता और एनसीडीसी द्वारा नए प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण सीएसआईएसएसी के कार्यान्वयन के लिए एनईआर से संबंधित 1806.96 लाख रुपये की अव्ययित राशि थी। चूंकि सीएसआईएसएसी योजना अपने अंतिम पड़ाव पर है और प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन किए जाने थे, अंत: योजना के तहत कोई नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

सहकारिता मंत्रालय
[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

2021-22 के दौरान निधियों का उपयोग
(सिफारिश संख्या 7)

"केंद्रीय क्षेत्र कृषि सहकारिता समेकित योजना (सीएसआईएसएसी) के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2021-22 के आरई चरण में 403.30 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था। समिति ने मंत्रालय के उत्तर को नोट किया कि वर्ष 2021-22 योजना के कार्यान्वयन के लिए अंतिम वर्ष है और दिनांक 31-01-2022 को निधियों का उपयोग 26% तक कम था। 403.30 करोड़ रुपये के आरई के स्थान पर मंत्रालय ने केवल एक योजना के कार्यान्वयन के लिए केवल 96.9968 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया है। मंत्रालय के अनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए सीएसआईएसएसी योजना के लिए चल रही व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की कवायद और व्यय विभाग के आगे के निर्देशों के कारण दूसरी तिमाही के बाद कोई निधि जारी नहीं की गई। समिति आशा करती है कि सहकारिता मंत्रालय वर्ष 2021-22 में योजना के लिए व्यय करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा और इसके बजटीय आवंटन का ईष्टतम उपयोग करेगा।"

सरकार का उत्तर:

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सहकारिता मंत्रालय ने 403.30 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय में से 371.97 करोड़ रुपए के व्यय का वहन किया।"

सहकारिता मंत्रालय
[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

ऋण गारंटी निधि स्कीम
(सिफारिश संख्या 14)

"समिति यह नोट करती है कि सहकारिता मंत्रालय 'सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी को सहायता' के सीएसआईसी स्कीम के संघटकों में प्रासंगिक स्कीमों/कार्यक्रमों को बदलने के लिए 'सहकारी समितियों हेतु ऋण गारंटी निधि' नाम की एक नई स्कीम बना रहा है जो वर्ष 2022-23 में लागू होना बंद हो जाएगा। समिति इस बात को भी नोट करती है कि मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित नई स्कीम

'सहकारी समितियों के लिए ऋण गारंटी निधि' के कार्यान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा था। तथापि, इस उद्देश्य के लिए एक करोड़ रुपए की केवल सांकेतिक राशि आवंटित की गई है। 'सहकारी समितियों के लिए ऋण गारंटी निधि' की प्रस्तावित नई स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और इस स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपए के सांकेतिक आवंटन की पृष्ठभूमि में, समिति को वर्ष 2022-23 के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में वास्तविक आशंकाएं हैं। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि 'सहकारी समितियों के लिए ऋण गारंटी निधि' की नई स्कीम को बनाया जाए और वर्ष 2022-23 की समय अवधि में यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाए। समिति मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि सहकारी सोसायटी के संबंधित रजिस्ट्रार के माध्यम से सहकारी सोसायटी के लिए उपयुक्त बीमा योजना को शुरू करने का पता लगाएं और सहकारी सोसायटी के सहायता हेतु प्रावधान को बीमा के साथ उपयुक्त तरीके से संबद्ध किया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

"क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने दिनांक 03.02.2022 के अपने परिपत्र सं. 194/2021-22 के माध्यम से गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के साथ योजना के सदस्य ऋणदाता संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया है। इससे सीजीटीएमएसई योजना की पहुंच और भी व्यापक हो जाएगी जिससे सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति देने में सहकारी समितियों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण मिलने में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनज़र, व्यय विभाग ने सहकारिता मंत्रालय के प्रस्तावित ऋण गारंटी योजना को यह कह कर सैद्धांतिक मंजूरी नहीं दी कि अन्य मंत्रालयों में भी समान योजनाएं प्रचालनरत हैं।"

सहकारिता मंत्रालय

[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

वर्ष 2022-23 के लिए स्कीमवार व्यय योजना
(सिफारिश संख्या 11)

"समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए 900 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) में से सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यान्वयन हेतु तैयार की जा रही चार नई स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित कुल बजट परिव्यय 680 करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 के दौरान चार नई स्कीमों/कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए प्रस्तावित बजटीय परिव्यय और आज की स्थिति के अनुसार उनको तैयार किए जाने/अंतिम रूप दिये जाने की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:

स्कीम का नाम	**बीई 2022-23**	**योजना बनाने में प्रगति**
पीएसीएस (परियोजना) का डिजिटलीकरण	350 करोड़ रुपये	व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने परियोजना का मूल्यांकन किया है और मंत्रिमंडल टिप्पण तैयार किया जा रहा है।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	55 करोड़ रुपये	स्कीम वैचारिक चरण में है।
सहकारी समितियों के लिए ऋण गारंटी निधि	1 करोड़ रुपये	
सहकार से समृद्धि योजना	274 करोड़ रुपये	

समिति उपर्युक्त कारकों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2022-23 में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षित समय अवधि का अंतिम वर्ष है, पुरजोर सिफारिश करती है कि सहकारिता मंत्रालय, मंत्रालय को आवंटित निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर सके।

सरकार का उत्तर:

योजना का नाम	**बजट अनुमान 2022-23**	**योजना बनाने में प्रगति**

पीएसीएस (परियोजना) का डिजिटलीकरण	350 करोड़ रुपए	सहकारी क्षेत्र, देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी इकाइयां हैं जिसमें लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं। देश में 95,000 से अधिक पैक्स हैं जिनमें बतौर सदस्य लगभग 13 करोड़ किसान जुड़े हैं। देश के सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों का 41% ऋण पैक्स के हिस्से आता है और इन केसीसी ऋणों का 95% ऋण छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता हैं। अत:, पैक्स कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। पैक्स के प्रचालन को पुन:सक्रिय करने, आधुनिक बनाने और उनकी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार है: 1. 2,516 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से त्रिस्तरीय ग्रामीण ऋण अवसंरचना के निचले पायदान पर मौजूद 63,000 कार्यशील पैक्स हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना "प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण" का शुभारंभ किया। यह परियोजना उनके प्रचालन में पारदर्शिता और दक्षता लाएगी। इस परियोजना से जनजातीय क्षेत्रों में पैक्स जैसी समितियों, जैसे वृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय समितियों (एलएएमपीएस) को भी लाभ मिलेगा। 2. पैक्स के कार्यकलापों में विविधता लाकर उसे ग्रामीण स्तर पर एक जीवंत बहुउद्देशीय आर्थिक इकाई बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संगठनों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए प्रारूप मॉडल उपनियम बनाए जा रहे हैं। 3. निष्क्रिय/सुषुप्त पैक्स को पुन:सक्रिय करने के लिए, अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर मंत्रालय, पैक्स को सहायता प्रदान करने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे सहकारी समितियों को सहायता मिल सकती है जैसे कृषि अवसंरचना फंड, मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास फंड, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड, नाबार्ड की योजनाएं आदि जो पैक्स द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों में उन्हें सहयोग दे सकते हैं। 4. ऐसे कई गांव/पंचायत हैं जहां पैक्स मौजूद नहीं हैं या सुषुप्त/निष्क्रिय अवस्था में हैं। अत:, ग्रामीण विकास के सर्वांगीण विकास के लिए निष्क्रिय पैक्स को पुन:सक्रिय करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उन गांवों/पंचायतों में नए पैक्स का गठन किया जा सकता है जहां पैक्स या तो मौजूद नहीं हैं या फिर उनको पुन:सक्रिय करना संभव नहीं है। अन्य मंत्रालय/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल भी पैक्स को पुन:सक्रिय करने में मदद कर सकता है और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में इसके गठन को भी प्रोत्साहित कर सकता है। ऐसे पैक्स जो व्यवहार्य नहीं हैं, उनका परिसमापन किया

		जा सकता है और उस क्षेत्र में नए पैक्स का गठन किया जा सकता है।
शिक्षा और प्रशिक्षण	55 करोड़ रुपए	सहकारी क्षेत्र की मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ मौजूदा स्टाफ के क्षमता निर्माण हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण की पूर्वापेक्षाएं हैं। तदनुसार, इस योजना के तहत दिशानिर्देश बनाए जा रहे हैं।
सहकारी समितियों के लिए ऋण गारंटी निधि	1 करोड़ रुपए	क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने दिनांक 03.02.2022 के अपने परिपत्र सं. 194/2021-22 के माध्यम से गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को विशिष्ट पात्रता शर्तों के साथ बतौर सदस्य उधारकर्ता के रूप में अधिसूचित किया है । इससे सीजीटीएमएसई योजना की पहुंच और भी व्यापक हो जाएगी जिससे सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति देने में सहकारी समितियों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण मिलने में मदद मिलेगी । उपर्युक्त स्थिति के मद्देनज़र, व्यय विभाग ने सहकारिता मंत्रालय के प्रस्तावित ऋण गारंटी योजना को यह कह कर सैद्धांतिक मंजूरी नहीं दी कि अन्य मंत्रालयों में भी समान योजनाएं प्रचालनरत हैं।
सहकार से समृद्धि योजना	274 करोड़ रुपए	ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए सहकारी क्षेत्र, विशेषकर प्राथमिक सहकारी समितियों को पुन:सक्रिय करने के लिए सहकारिता मंत्रालय "सहकार से समृद्धि" योजना के माध्यम से एक रोडमैप तैयार कर रहा है । मंत्रालय अन्य डोमेन मंत्रालयों की सब्सिडी आधारित योजनाएं जैसे कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (डीआईडीएफ), मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास फंड (एफआईडीएफ) आदि को जोड़कर सामंजस्य बिठा रहा है, जो पैक्स को अनेक कमाई के स्रोतों के साथ बहुउद्देशीय बनना सुनिश्चित करेगा।अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल से पैक्स को पुन: सक्रिय करने के साथ-साथ नए स्थानों में नए पैक्स के गठन में प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे पैक्स जो व्यवहार्य नहीं हैं, उनका परिसमापन किया जा सकता है और उनके स्थान पर नए पैक्स का गठन भी किया जा सकता है।

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 1.22 देखें।

सहकारिता मंत्रालय

[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

अध्याय पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

वर्ष 2022-23 के लिए सहकारिता मंत्रालय को बजटीय आवंटन का समान रूप से व्यय (सिफारिश संख्या 3)

"समिति यह नोट करती है कि सहकारिता मंत्रालय को वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में 3250 करोड़ रुपये की उनकी अनुमानित मांग के स्थान पर 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि, समिति को मंत्रालय द्वारा निधियों के समान रूप से खर्च किए जाने के संबंध में उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक, वह 403.30 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। हैरानी की बात यह है कि आरई वर्ष 2021-22 में इस योजना की तुलना में, मंत्रालय ने 3250 करोड़ रुपये की मांग की थी जो मंत्रालय की ओर से महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है। समिति इस बात की सराहना करती है कि वित्त मंत्रालय ने अभी भी बीई वर्ष 2022-23 के लिए 900 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए बजट परिव्यय के उपयोग के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय अनुदानों की विस्तृत मांगों वर्ष 2022-23 में निहित मासिक व्यय योजना को लागू करेगा।"

सरकार का उत्तर:

"पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु वर्तमान वर्ष के लिए किए गए 350 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन की तुलना में सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के डिजिटलीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

274 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण आर्थिक विकास हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों सहित सहकारी क्षेत्र को पुन:सक्रिय करने के लिए मंत्रालय "सहकार से समृद्धि" योजना बना रहा है। मंत्रालय इस योजना को नाबार्ड, एनसीडीसी आदि से पर्याप्त ऋण उपलब्धता द्वारा अन्य डोमेन मंत्रालयों की सब्सिडी आधारित योजनाएं जैसे कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (डीआईडीएफ), मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास फंड (एफआईडीएफ) आदि के साथ जोड़कर सामंजस्य बिठा रहा है।

सहकारी शिक्षण (30 करोड़ रुपए) और सहकारी प्रशिक्षण (25 करोड़ रुपए) से संबंधित बजटीय प्रावधानों के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।"

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 1.7 देखें।

सहकारिता मंत्रालय
[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

<u>केंद्रीय क्षेत्र कृषि सहकारिता संबंधी समेकित योजना (सीएसआईएसएसी) को बंद करना</u>
(सिफारिश संख्या 8)

"उत्तरों के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र कृषि सहकारिता संबंधी समेकित योजना (सीएसआईएसएसी) नामक केवल एक ही योजना का संचालन करता है, जिसे पूर्ववर्ती कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा इसे हस्तांतरित किए जाने पर किया जाता है। सीएसआईएसएसी स्कीम में तीन प्रमुख घटक शामिल थे (i) सहकारी समितियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) कार्यक्रमों को सहायता, (ii) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को सहायता और (iii) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सहायता। 'सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सहायता संबंधी योजना' भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से और अन्य दो योजनाएं एनसीडीसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। एनसीसीटी और एनसीयूआई केवल सीएसआईएसएसी योजना घटकों का प्रशासन करते हैं, जबकि एनसीडीसी सीएसआईएसएसी योजना घटकों के अतिरिक्त, अपनी स्वयं की उन योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है जिन्हें सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता है। सहकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 से सीएसआईएसएसी योजना के पुनरुद्धार और सहकारी क्षेत्र के लिए नई योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए हैं। मंत्रालय के अनुसार, सीएसआईएसी योजना वर्ष 2022-23 के बाद से अस्तित्व में नहीं रहेगी, हालांकि मंत्रालय केवल शेष बकाया देनदारियों को देखने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआईएसएसी बजट शीर्ष के साथ जारी रहेगा। समिति ने दिनांक 31-01-2022 की स्थिति के अनुसार, इस बात को नोट किया है कि जबकि एनसीसीटी और एनसीयूआई के पास कोई अव्ययित शेष नहीं बचा है, लेकिन एनसीडीसी के पास सीएसआईएसएसी योजना घटकों के कार्यान्वयन के कारण 32 करोड़ रुपये से अधिक की अव्ययित शेष राशि है। इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी ने मंत्रालय से सीएसआईएसएसी योजना के अंतर्गत कार्यान्वयनाधीन एनसीडीसी की 287 चालू परियोजनाओं के कारण दिनांक 31-03-2021 की स्थिति के अनुसार 2825.79 करोड़ रुपये की अपनी देयता को पूरा करने का भी अनुरोध किया है। इस संबंध में समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय सहकारी क्षेत्र के लिए नई योजनाएं तैयार करे और उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित करे जिससे सहकारी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई बजटीय सहायता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, समिति यह भी चाहती है कि कार्यान्वयन एजेंसियों के बकाया मुद्दों और देनदारियों पर विचार किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

"सीएसआईएसएसी योजना के तहत एनसीडीसी ने दिनांक 01.04.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 245 पात्र परियोजनाओं के संबंध में 2512.87 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध देनदारियों का आकलन किया। सहकारिता मंत्रालय इस मुद्दे के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।"

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 1.13 देखें।

सहकारिता मंत्रालय

[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

नई स्कीमों के प्रारम्भिक कार्यों को पूरा करना

(सिफारिश संख्या 10)

"समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान चार नई स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 680 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। तथापि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि चार नई स्कीमों/कार्यक्रमों में से प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी (पीएसीएस) परियोजना के डिजिटलीकरण के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल टिप्पण संबंधी तैयारी और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा मूल्यांकन पूरा किया गया है। तीन अन्य नई स्कीमें वैचारिक चरण में है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि नई स्कीमों को बनाये जाने और उनके संचालन संबंधी दिशानिर्देशों से संबंधित प्रारम्भिक कार्य को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक अंतिम रूप दिया जाए ताकि सभी चार नई स्कीमों में वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों के शत-प्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। समिति इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।"

सरकार का उत्तर:

संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

योजना का नाम	बजट अनुमान (2022-23)	योजना बनाने में प्रगति
पैक्स का डिजिटलीकरण (परियोजना)	350 करोड़ रुपए	कार्यान्वित की गई योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है: i. दिनांक 29 जून, 2022 को मंत्रीमंडलीय समिति द्वारा "पैक्स के कंप्यूटरीकरण" परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और उसका कार्यान्वयन आरंभ हो चुका है । राष्ट्र स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 8 जुलाई, 2022 को हुई जिसमें सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव/सहकारी समिति के पंजीयक उपस्थित थे। प्रचालन दिशानिर्देश स्वीकृत हो गए हैं और इन्हें इसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है। नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है और राष्ट्र स्तरीय विक्रेताओं व सिस्टम इंटिग्रेटरों को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

		ii. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए सहकारी क्षेत्र, विशेषकर प्राथमिक सहकारी समितियों को पुन:सक्रिय करने के लिए सहकारिता मंत्रालय "सहकार से समृद्धि" योजना के माध्यम से रोडमैप तैयार कर रहा है। मंत्रालय अन्य डोमेन मंत्रालयों की सब्सिडी आधारित योजनाएं जैसे कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (डीआईडीएफ), मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास फंड (एफआईडीएफ) आदि को जोड़कर सामंजस्य बिठा रहा है जो पैक्स को अनेक कमाई के स्रोत के साथ बहुउद्देशीय बनना सुनिश्चित करेगा। अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल से पैक्स को पुन:सक्रिय करने के साथ-साथ नए स्थानों में नए पैक्स के गठन में प्रोत्साहन मिलेगी। ऐसे पैक्स जो व्यवहार्य नहीं हैं, उनका परिसमापन किया जा सकता है और उनके स्थान पर नए पैक्स का गठन भी किया जा सकता है।
शिक्षा और प्रशिक्षण	55 करोड़ रुपए	सहकारी क्षेत्र की मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ मौजूदा स्टाफ की क्षमता निर्माण हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण की पूर्वापेक्षाएं हैं। तदनुसार, इस योजना के तहत दिशानिर्देश बनाए जा रहे हैं।
सहकारी समितियों के लिए ऋण गारंटी निधि	1 करोड़ रुपए	क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने दिनांक 03.02.2022 के अपने परिपत्र सं. 194/2021-22 के माध्यम से गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को विशिष्ट पात्रता शर्तों के साथ बतौर सदस्य उधारकर्ता के रूप में अधिसूचित किया है। इससे सीजीटीएमएसई योजना की पहुंच और भी व्यापक हो जाएगी जिससे सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति देने में सहकारी समितियों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण मिलने में मदद मिलेगी। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनज़र, व्यय विभाग ने सहकारिता मंत्रालय के प्रस्तावित ऋण गारंटी योजना को यह कह कर सैद्धांतिक मंजूरी नहीं दी कि अन्य मंत्रालयों में भी समान योजनाएं प्रचालनरत हैं।
सहकार से समृद्धि योजना	274 करोड़ रुपए	ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए सहकारी क्षेत्र, विशेषकर प्राथमिक सहकारी समितियों को पुन:सक्रिय करने के लिए सहकारिता मंत्रालय "सहकार से समृद्धि" योजना के माध्यम से एक रोडमैप तैयार कर रहा है। मंत्रालय अन्य डोमेन मंत्रालयों की सब्सिडी आधारित योजनाएं जैसे कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (डीआईडीएफ), मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास फंड (एफआईडीएफ) आदि को जोड़कर सामंजस्य बिठा रहा है, जो पैक्स को अनेक कमाई के स्रोतों के साथ बहुउद्देशीय बनना सुनिश्चित करेगा। अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल से पैक्स को पुन:सक्रिय करने के साथ-साथ नए स्थानों में नए पैक्स के गठन में प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे पैक्स जो व्यवहार्य नहीं हैं, उनका परिसमापन किया जा सकता है और उनके स्थान पर नए पैक्स का गठन भी किया जा सकता है।

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 1.19 देखें।

सहकारिता मंत्रालय

[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नई स्कीम

(सिफारिश संख्या 12)

"सीएसआईएसएसी स्कीम के सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण घटक का कार्यान्वयन वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्त होगा। दिए गए उत्तरों के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय वर्ष 2022-23 से कार्यान्वयन के लिए सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण की एक नई स्कीम तैयार कर रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान नई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 55 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रस्तावित नई सहकारी शिक्षा स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम के रूप में सहकारी शिक्षा की शुरुआत की परिकल्पना की गई है। आगे, मंत्रालय वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वीएएमएनआईसीओएम) को और अधिक स्वायत्ता देने पर और इसे एक शीर्ष सहकारी संस्थान में परिवर्तित करने पर विचार कर रहा है। समिति सहकारी शिक्षा में नई पहलों के साथ-साथ सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मौजूदा स्कीमों में सुधार का स्वागत करती है। समिति स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सहकारी शिक्षा को अकादमिक पाठ्यक्रम के रूप में शुरू किए जाने के पक्ष में भी है। इसलिए समिति की यह इच्छा है सहकारिता मंत्रालय सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए नई स्कीम बनाएं और शीघ्रातिशीघ्र स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सहकारी शिक्षा को अकादमिक पाठ्यक्रम के रूप में शुरू किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।"

सरकार का उत्तर:

"सहकारी क्षेत्र के मानव संसाधन अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ मौजूदा स्टाफ की क्षमता वृद्धि के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वापेक्षाएं हैं। सहकारिता कार्यकलापों में पेशेवरता लाने के लिए डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणन पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उच्च गुणवत्ता मानकों के बेंचमार्क पर डिज़ाइन किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय, तदनुसार सहकारी शिक्षण के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है, जिसके लिए हितधारकों के साथ परामर्श किया जा रहा हैं।"

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 1.25 देखें।

सहकारिता मंत्रालय

[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

बहु राज्य सहकारी सोसाइटियों को सहायता

(सिफारिश संख्या 15)

"समिति यह नोट करती है कि सहकारिता मंत्रालय 'सहकार से समृद्धि योजना' नामक एक नई स्कीम बना रहा है जो वर्ष 2022-23 में 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सहायता' के सीएसआईसी स्कीम के संघटकों का स्थान लेगी। 'सहकार से समृद्धि योजना' सात संघटकों वाली एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए 274 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। इसलिए समिति को यह सूचित किया जाए कि क्या पिछली योजना के तहत 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सहायता' के प्रावधान की प्रस्तावित प्रणाली वर्ष 2022-23 में लागू होना बंद हो जाएगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सहकारिता मंत्रालय वर्ष 2022-23 के दौरान 'सहकार से समृद्धि योजना' की नई स्कीमों के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध कार्रवाई करें। समिति यह भी जानना चाहती है कि 'सहकार से समृद्धि योजना' के तहत 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सहायता' स्कीम को कैसे संबोधित किया जाएगा। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।"

<u>सरकार का उत्तर:</u>

"ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए सहकारी क्षेत्र, विशेषकर प्राथमिक सहकारी समितियों को पुन:सक्रिय करने के लिए सहकारिता मंत्रालय "सहकार से समृद्धि" योजना के माध्यम से एक रोडमैप तैयार कर रहा है। मंत्रालय अन्य डोमेन मंत्रालयों की सब्सिडी आधारित योजनाएं जैसे कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (डीआईडीएफ), मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास फंड (एफआईडीएफ) आदि द्वारा को जोड़कर सामंजस्य बिठा रहा है जो पैक्स को अनेक कमाई के स्रोत के साथ बहुउद्देशीय बनना सुनिश्चित करेगा। अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल से पैक्स को पुन:सक्रिय करने के साथ-साथ नए स्थानों में नए पैक्स के गठन में प्रोत्साहन मिलेगी। ऐसे पैक्स जो व्यवहार्य नहीं हैं, उनका परिसमापन किया जा सकता है और उनके स्थान पर नए पैक्स का गठन भी किया जा सकता है।"

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा 1.28 देखें।

सहकारिता मंत्रालय

[फाइल सं. एच-11012/2/2022-संसद (सह.) दिनांक 5 अगस्त, 2022]

नई दिल्ली;
<u>06 दिसंबर, 2022</u>
<u>15 अग्रहायण</u>, 1944(शक)

पी.सी. गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

<u>गोपनीय</u>

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

*****

समिति की बैठक मंगलवार, 15 नवंबर, 2022 को 1100 बजे से 1245 बजे तक समिति कक्ष संख्या 3, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.सी. गद्दीगौदर – *सभापति*

सदस्य
लोक सभा

2. श्री ए. गणेशमूर्ति
3. श्री कनकमल कटारा
4. श्री देवजी पटेल
5. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
6. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
7. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

8. श्री मस्थान राव बीडा
9. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे
10. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
11. श्री कैलाश सोनी
12. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
13. श्री राम नाथ ठाकुर

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	अपर सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

4.	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव
5.	श्री एन. अमरत्यागन	-	अवर सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार, लार्डिस समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा ताकि सदस्यों को शोध में बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में की गई नई पहलों, संसद ग्रंथालय में नई पहल, संसद ग्रंथालय के समृद्ध संसाधनों/भंडार के बारे में जागरूकता पैदा करना, प्राइड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से अवगत कराया जा सके। तत्पश्चात, लार्डिस के अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार किया:

(i) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX;

(ii) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX;

(iii) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX;

(iv) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX;

(v) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX;

(vi) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदन।

4. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया और समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

*5. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*6. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*7. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*8. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*मामला इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

<u>परिशिष्ट – एक</u>

(प्रतिवेदन की प्रस्तावना का पैरा 4 देखें)

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण (17वीं लोक सभा)

***

(i)	सिफारिशों की कुल संख्या	16
(ii)	सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	
	सिफारिश संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13 तथा 16.	
	कुल	08
	प्रतिशतता	50%
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	
	सिफारिश संख्या 7 तथा 14	
	कुल	02
	प्रतिशतता	12.5%
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	
	सिफारिश संख्या 11	
	कुल	01
	प्रतिशतता	6.25%
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	
	सिफारिश संख्या 3, 8, 10, 12 तथा 15.	
	कुल	05
	प्रतिशतता	31.25%